Form 21 C

(See rules 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the House of the People from the 8 - ALWAR Parliamentary Constituency in Rajasthan.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri BHUPENDER YADAV

221/2 Village Jamalpur Tehsil Farukhnagar, Gurgaon, Haryana sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: ALWAR Date: 04.06.2024

Returning Officer

Parliamentary Constituency

(Ashish Gupta) **Returning Officer** 8-Alwar Parliamentary Constituency (District Collector & District Magistrate, Alwar)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के 8 - अलवर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री भूपेन्द्र यादव

221/2 ग्राम जमालपुर तहसील फरूखनगर, गुड़गांव, हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खडे किए गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन – क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: अलवर

तारीख: 04.06.2024

संसदीय निर्वाच्नी

(आशीष गुप्ता) रिटर्निंग ऑफिसर 8-अलवर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर)